भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

169

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2016 निग-1593-II-16

राजेश आ. श्री भारत सिंह आयु 27 वर्ष
निवासी ग्राम अमरोद तहसील व जिला सीहोर म0प्र0.....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. गजराज सिंह आ. श्री चाँद सिंह आयु वयस्क
02. हरनाथ सिंह आ. श्री भ्झवाना आयु वयस्क
दोनों निवासी ग्राम अमरोद तहसील व
जिला सीहोर
03. शिवकुमार आ. श्री आर.डी.सिंह आयु वयस्क
निवासी बैरागढ़ भोपाल म0प्र0.....रेस्पाण्डेंटगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 30 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 एवं सहपठित धारा 8 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 वास्ते प्रकरण को अंतरण किए जाने हेतु।

प्रकरण जो आहुत किये जाजे है:-

01. प्रकरण कमांक 733/ए/14-15 गजराज सिंह विरूद्ध राजेश (ग्राम अमरोद तहसील व जिला सीहोर) न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभ्झाग भोपाल म0प्र0

श्रीमान् जी,

आवेदक निम्न निवेदन करता है:-

01. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक राजेश मेवाड़ा द्वझरा म. प्र.भू.रा.संहिता 19549 की धारा 44(1) के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीहोर के न्यायालय की संशोधन पंजी कमांक 12/149 ग्राम अमरोद तहसील व जिला सीहोर ओदश दिनांक 21/05/2011 से असंतुष्टि होकर अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि अनावेदक कमांक 02 हरनाथ सिंह आ. श्री भवाना को शासन द्वारा भूमि सर्वे नंबर 181/1 रकबा 4.94 एकड़ अर्थात 2.080 हैक्टेयर का पट्टा प्रदान किया गया था एवं शासन द्वारा पट्टा प्रदान कर अस्तांतरणीय राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1593–दो/2016 जिला–~~सीहोर~~ सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–8–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एन0एस0 ठाकुर उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल व जिला–सीहोर के प्र0क्र0 733/ए/14–15 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता ही कहा जायेगा) की धारा 30 सहपठित धारा 8 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये जो निगरानी मेमो में अंकित है। 4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 09.09.2016 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया । अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया कि आवेदक राजेश मेवाड़ा द्वारा संहिता की धारा 44(1) के अंतर्गत तहसीलदार सीहोर के न्यायालय की संशोधन पंजी क्रमांक 12/149 ग्राम असरोद तहसील व जिला सीहोर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2011 से असंतुष्ट होकर अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सीहोर के समक्ष प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी सीहोर ने दिनांक 17.08.2015 को आदेश पारित करते हुये , अंतरण शुन्य करते हुये, पट्टा निरस्त करने के आदेश पारित किये । जिस पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अपर आयुक्त ने	

स्थंगन बिन्दु पर सुनवाई किये जाने के पूर्व आवेदक को सुना जाना आवश्यक मानते हुये, दिनांक 09.09.2016 को आदेश पारित कर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई तथा स्थंगन आवेदन पर सुनवाई हेतु आवेदक को सूचना पत्र जारी किया ।

5/ इस प्रकरण में जैसा कि आवेदक अभिभाषक ने निगरानी मेमो एवं अपने तर्कों में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कैबियट आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत विधिवत सूचना आवेदन को प्रदान किये जाना परम आवश्यक थी, परंतु विधिवत सूचना पत्र तामिल कराये बगैर स्थंगन पर तर्क श्रवण किये बगैर प्रदान किया गया स्थंगन विधि विपरीत रहा एवं इस प्रकार आवेदक उस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करना चाहता है, ताकि आवेदक न्याय प्राप्त कर सके । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रचलित समस्त मामलों के संबंध में न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है की जो उसकी अपील या पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के अध्याधीन है । समस्त प्राधिकारियों पर उस सीमा तक अधीक्षण की शक्ति होगी जहॉ तक आहुत कर रिकार्ड जांच करने की पात्रता रखता है । इस प्रकार धारा 8 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 मंडल की अधीक्षण संबंधी शक्ति प्रदान करती है । इस प्रकार इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

6/ प्रकरण का अवलोकन करने और मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हाल ही में किये गये स्थांनतरण आदेश के आलोक में यह पाया जाता है कि पीठासीन अधिकारी का स्थांनतरण अन्यंत्र किया जा चुका है । अतएव आवेदक का आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 30 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता अन्य न्यायालय में स्थांनतरण करने विषयक निष्फल हो गया है । अतः प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही आवश्यक न होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य